तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज
22/9/23	वकील उभयी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह मुल० प्रा० पत्र पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ पलानी न्यायी सहायक कलक्टर उच्चैन के विरुद्ध पेश किया गया था। चूँकि श्री सिद्धार्थ पलानी न्यायी का स्थानान्तरण/पदस्थापन, सहायक कलक्टर उच्चैन के पद से अन्यत्र हो गया है इस कारण मुल० प्रा० पत्र प्रभावहीन हो जाता है। अतः उभयपक्ष के कारण प्रकरण इसी स्तर पर प्रभावहीन होने खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर